(3)

संख्या– 23/ /VI(1)/2012–02(06)2011

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 संधू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 17 फरवरी, 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर मद में राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून/अल्मोड़ा हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–424/2–3–43/2011–12, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–912/VI(1)/2011–02(6)/2011, दिनांक 25 अप्रैल, 2011, संख्या–1129/VI(1)/ 2011–02(6)/2011, दिनांक 13 अप्रैल, 2011, संख्या–1753/VI(1)/2011–02(6)/2011, दिनांक 12 अगस्त, 2011 एवं संख्या–2493/VI(1)/2011–02(6)/2011, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011, द्वारा आयोजनेत्तर मद के अनुदानान्तर्गत लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–18–राजकीय होटल मैनेजमैंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान–00–01–वेतन के लिए अवमुक्त धनराशि में से राजकीय होटल मैनेजमैंट एवं कैटरिंग संस्थान देहरादून/अल्मोड़ा हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹ 11.10 लाख **(₹ ग्यारह लाख दस हजार मात्र)** का पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्त धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च, 2012 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(ii) वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा। बजट मैनअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक

..2

अधिकारी द्वारा पुववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(iii) यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–18–राजकीय होटल मैनेजमैंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान के बी0एम0–15 में उल्लिखित विभिन्न मानक मदो के नामें डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–56/XXVII(2)/2012, दिनांक 10 फरवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 संधू)
सचिव।

संख्याः– 231 /VI(1)/2012–02(06)2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रधानाचार्य राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, देहरादून/अल्मोड़ा।
5– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

15

प्रपत्र 2011–12

अनुदान संख्या ... नियं... न, उत्तराखण्ड देहरादून।

(धनराशि हजार ₹ में)

बजट प्राविधान ... लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार आध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	(... धनराशि	... जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की सकल धनराशि		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6		7	8
(क)लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनेत्तर–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–18–राजकीय होटल मैनेजमैंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान–00				(ख)लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनेत्तर–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–18–राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान	पुनर्विनियोग (ख)	सकल धनराशि		(क) इस लेखाशीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष व्यय के उपरान्त बचत उपलब्ध है। (ख) इस लेखाशीर्षक में धनराशि की आवश्यकता है इसलिए पुनर्विनियोग प्रस्तावित है।
19–विज्ञान बिकी और विख्यापन व्यय– 80	40	20	20	13–टेलीफोन पर व्यय 120	20	} 180	60	
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति– 200	108	52	40		40		160	
29–अनुरक्षण– 400	205	145	50	09–विद्युत देय 300	50	} 400	350	
45–अवकाश यात्रा व्यय– 100	–	50	50		50		50	
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण– 300	18	132	150	16–व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 2050	150	} 3000	150	
26–मशीनें और साज–सज्जा /उपकरण– 800	8	92	700		700		100	
46–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय– 200	–	100	100		100		100	
2080 (क)	379	591	1110	2470	1110	3580	970	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
वित्त अनुभाग–2
संख्या–56(1)/ XXVII(2)/2012
देहरादून: दिनांक 10 फरवरी, 2012

सेवा में,

महालेखाकार,
ओबराय भवन माजरा,
देहरादून।

पुनर्विनियोग स्वीकृत

शरद चन्द्र पाण्डेय
अपर सचिव, वित्त।

संख्या– /VI(1)/2012–02(16)/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निदेशक पर्यटन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।

(ग) उक्त धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च, 2012 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।